

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर


प्रार्थना पत्र संख्या.... 5 / 2021

तहसीलदार शाहपुरा बनाम सरकार  
अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 22.10.2021

तहसीलदार शाहपुरा के प्रार्थना पत्र क्रमांक आरए/20/ 58 दिनांक 22.10.2021 के संलग्न भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा के आराजी ,खसरा नम्बर 1146 रकबा 0.56 है0 किस्म गै0मु0 बेहड में से 0.50 है0 भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेप्ति किया है, तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।


अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अनुसार ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा के आराजी ,खसरा नम्बर 1146 रकबा 0.56 है0 किस्म गै0मु0 बेहड में से 0.50 है0 सिवायचक भूमि (मुताबिक नक्शा ट्रेस के ) अनुसार किस्म गै. मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे।

  
(मनमोहन)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला जयपुर  
दिनांक 22/10/21

क्रमांक/अभियान/2021/ 342

प्रतिलिपि:- तहसीलदार शाहपुरा को दी जाकर लेख है कि निर्णय के अनुसार नक्शा ट्रेस में रास्ते का अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें ।

  
(मनमोहन)  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला जयपुर